मुला के का.मु.शंकराराम वगैरह बनाम तुलछा के कायम मुकाम केहराराम वगैरह
राजस्व अपील संख्या 35/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.05.2023	विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता श्री पारसमल बराडा उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तओ की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तुलछा पुत्र करमसी जाति कलबी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात सरहद मौजा सांचोर वर्तमान मौखुपुरा के पुराने खसरा नंबर 651 कुल रकबा 15/1/4 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस तामिल नहीं हुआ। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांटगण द्वारा दिनांक 02.09.2020 को पटवार हल्का सांचौर मे पटवारी साहब के पास वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी की जानकारी की तब हमे ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी आज किसी कलबी जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज हुई है एव अपीलांट को जालोर जाकर रेकर्ड मे पता करने को कहा। उसके पश्चात अपीलांटगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 07.09.2020 को जैर अपील निर्णय की नकल मांगी गई। अपीलांटगण को उक्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नकल दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त होने के पश्चात जैर अपील निर्णय की पूर्ण जानकारी हुई। अपीलांटगण को जैर अपील निर्णय की प्रमाणित नकले दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त हुई अर्थात प्रथम बार उक्त अपील का वाद कारण दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलांटगण गरीब एवं अशिक्षित होने के कारण लम्बे समय तक जैर अपील निर्णय की जानकरी अपीलांटगण को नहीं थी। जैर अपील निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात अपीलाण्टगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर दी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कराते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार करावें एवं अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील निर्णय दिनांक 04.11.1963 को पारित किया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2020 को प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योंग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर राजीनामे के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु नई कहानी रचते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, क्योंकि स्वीकृत तथ्यों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट द्वारा निर्णय पारित होने के लगभग 57 वर्षो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया है, विधि अनुसार देरी का प्रतिदिन के अनुसार कारण दर्शित किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक है, अपीलाण्ट द्वारा ऐसे किसी विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया है, जिनको दृष्टिगत रखते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार योग्य हो। अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी वर्ष 1963 से ही थी, इसके बावजूद अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया, कि उसे प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह आधारहीन है। इस कारण अपील म्याद बाहर होने से एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 369, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232, डी0एन0जे0 (राज.) 2004 (2) पेज 639, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1089, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 814, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 737, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1293, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 154, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 82, आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 684, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 683, आर0आर0टी0 2014–15 (सप्ली.) पेज 570, , आर0आर0टी0 2011–12 (सप्ली.) पेज 325, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 1029 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रवली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तुलछा पुत्र करमसी जाति कलबी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात सरहद मौजा सांचोर वर्तमान मौखुपुरा के पुराने खसरा नंबर 651 कुल रकबा 15/1/4 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के पेज संख्या 02 के पैरा संख्या 03 के अन्तर्गत यह अंकन किया गया है कि अपीलांटगण के पिता मुलाराम के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी इकबालिया राजीनामा किया गया। उक्त हस्ताक्षर फर्जी है या अथवा नही ? इस संबध मे अपीलांटगण द्वारा किसी प्रकार की कोई सिविल कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही ऐसा दस्तावेज हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलांटगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत मौखिक तौर पर जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 08.09.2020 को होना जाहिर किया है यह तथ्य विरोधाभाषी है, क्योंकि अपीलांटगण द्वारा उनके पिता मुलाराम के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी इकबालिया राजीनामा प्रस्तुत किये जाने का अंकन किया गया है। जिससे यह प्रकट होता है कि अपीलांटगण के पिता को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की जानकारी थी। जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.11.1963 को पारित की गई है तथा निर्णय पारित होने के 57 वर्षो के पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमंन, एस.एल. पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है। उक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें ऐसा कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 08.09.2020 को हुई हो। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 239/1963 बउनवान तुलछा बनाम मुल वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 04.11.1963 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली